

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन राजस्व
एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक २५/भू-अर्जन/2018

रायगढ़, दिनांक 20/12/2018

अधिसूचना

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2016-17 चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की खैरपाली उपवितरक नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन तथा पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है, कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

1. जिला - रायगढ़
2. तहसील - खरसिया
3. ग्राम/नगर - कुनकुनी
4. भूमि का क्षेत्रफल - 0.105 हे.

स.क्र.	खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
1	803/2	0.040
2	805 806/2	0.065
योग- कुल खसरा नंबर 02 रकबा 0.105 हे.		

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व खरसिया कार्यालय में किया जा सकता है।
3. उक्त भूमि अर्जन में किसी भी व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
खरसिया, जिला रायगढ़

(शम्मी अग्निदी)

कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग.
शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग